सं. 148] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2004/श्रावण 26, 1926
No. 148] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2004/SRAVANA 26, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 अगस्त, 2004

सं. टीएएमपी/30/2004-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा बंदर दरमान के भाग III ख के अधीन वर्तमान टिप्पणी (vi) में संशोधन करने के लिए मुम्बई पत्तन न्यास के प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/30/2004-एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास ------- आवेदक

आदेश

(अगस्त, 2004 के 10वें दिन पारित)

यह प्रकरण पत्तन न्यास बंदरों में पोत-विखंडन, पोतों के निर्माण और मरम्मत के प्रभारों से संबंधित बंदर दरमान के भाग III ख के अंतर्गत वर्तमान टिप्पणी (vi) में संशोधन करने के लिए मुम्बई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने लकरी बंदर (दक्षिण) और पॉवर वर्क्स बंदर में पोत-विखंडन सुविधाओं के लिए भूखंडों के लाइसेंस देने संबंधी प्रभार निर्धारित करने के लिए एमबीपीटी प्रस्ताव पर 6 मई, 2003 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश 26 मई, 2003 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3. एमबीपीटी ने दिनांक 19 जून, 2004 के अपने प्रस्ताव में इस प्राधिकरण से बंदर में प्रचालित दरमान के भाग III ख के अधीन टिप्पणी (vi) में संशोधन करने का अनुरोध किया है। एमबीपीटी ने इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य बातें कही है :

(i) लाइसेंसधारियों (पोत-विखंडकों) द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा मालगुजारी संबंधी वर्तमान प्रावधान तीन वर्षों के प्रथम प्रखंड के लिए 7000 एलडीटी प्रतिवर्ष, तीन वर्षों के द्वितीय प्रखंड के लिए 8000 एलडीटी प्रतिवर्ष और चार वर्षों के अंतिम प्रखंड के लिए 10000 एलडीटी प्रतिवर्ष इस शर्त के साथ है कि यदि लाइसेंसधारी एक प्रखंड में गारंटीशुदा मालगुजारी प्राप्त नहीं करता है तो उसे वचनबद्ध मालगुजारी में कमी के लिए प्रखंड वर्ष की समाप्ति के एक माह के अन्दर भुगतान करना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा।

2532 GI/2004

(ii) यद्यपि उपर्युक्त शर्त को प्रथम और द्वितीय प्रखंडों के लिए लागू करना संभव है, परंतु चार वर्षों के तृतीय प्रखंड के लिए इसे लागू करना संभव नहीं होगा क्योंकि तीसरे प्रखंड की अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस समाप्त हो जाता है।

3.1. वर्तमान उपबंधों और प्रस्तावित संशोधनों की तालिका नीचे दी गई है :

वर्तमान उपबंध		प्रस्तावित संशोधन	
लाइसेंस के एक वर्ष से 3रें वर्ष तक	3 वर्षों के इस प्रखंड के अन्दर 7000 एलडीटी प्रतिवर्ष प्रति भूखंड अथवा तीन वर्षों के इस प्रखंड में 21000 एलडीटी प्रति भूखंड	लाइसेंस के एक वर्ष से 3रें वर्ष तक	3 वर्षों के इस प्रखंड के अन्दर 7000 एलडीटी प्रतिवर्ष प्रति भूखंड अथवा तीन वर्षों के इस प्रखंड में 21000 एलडीटी प्रति भूखंड
लाइसेंस के 4थें वर्ष से 6टें वर्ष तक	3 वर्षों के इस प्रखंड के अन्दर 8000 एलडीटी प्रतिवर्ष प्रति भूखंड अथवा तीन वर्षों के इस प्रखंड में 24000 एलडीटी प्रति भूखंड	लाइसेंस के 4थे वर्ष से 6टें वर्ष तक	3 वर्षों के इस प्रखंड के अन्दर 8000 एलडीटी प्रतिवर्ष प्रति भूखंड अथवा तीन वर्षों के इस प्रखंड में 24000 एलडीटी प्रति भूखंड
लाइसेंस के 7वे वर्ष से 10वें वर्ष तक	4 वर्षों के इस प्रखंड के अन्दर 10000 एलडीटी प्रतिवर्ष अथवा चार वर्षों के इस प्रखंड में 40000 एलडीटी प्रति भूखंड	लाइसेंस के 7वें वर्ष से 9वें वर्ष तक	3 वर्षों के इस प्रखंड के अन्दर 10000 एलडीटी प्रतिवर्ष प्रति भूखंड अथवा तीन वर्षों के इस प्रखंड में 30000 एलडीटी
		लाइसेंस के 10वें वर्ष	इस वर्ष 10000 एलडीटी प्रति भूखंड
इस गारंटीशुदा स्तर को प्राप्त करने में असफल रहने की स्थिति में, लाइसेंसधारी को वचनबद्ध माजगुजारी में कमी के लिए पोत-विखंडन प्रभार प्रखंड वर्ष की समाप्ति के एक माह के अन्दर अदा करना होगा, ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा।		इस गारंटीशुदा स्तर को प्राप्त न कर पाने की स्थिति में, लाइसेंसधारी वचनबद्ध मालगुजारी में कमी के लिए दसवें वर्ष के अलावा प्रत्येक प्रखंड वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के भीतर पोत-विखंडन प्रभारों का भुगतान करेगा. दसवें वर्ष में, इसके आरंभ होने के एक माह के भीतर, लाइसेंसधारी, पोत-विखंडन प्रभार अग्रिम रूप से अदा करेगा। भुगतान किए गए अग्रिम का, उस वर्ष तोड़े गए एलडीटी के समक्ष और इस वर्ष में आई कमी के लिए, यदि कोई कमी आई हो, जिसे वर्ष के अंत में समायोजित किया जाए, जुर्माने के समक्ष समायोजित किया जाएगा।	

4. वर्तमान व्यवस्था मे, प्रथम और द्वितीय प्रखंड की कमी को प्रखंड वर्ष की समाप्ति के एक माह के अन्दर वसूल करना संभव है। तृतीय प्रखंड अवधि की वचनबद्ध मालगुजारी में कमी को लाइसेंस अवधि के अन्दर वसूल करना संभव नहीं होगा। उल्लेखनीय रूप से पत्तन दसवें वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम भुगतान के लिए एक माह का समय दे रहा है। इसलिए, यह प्राधिकरण प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन करता है।

5. पत्तन ने पोत-विखंडन के लिए वर्तमान प्रभारों में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है और इस प्रस्तावित संशोधन के कारण उपयोगकर्ताओं पर कोई और बोझ नहीं पड़ेगा। पिछले आदेश में की गई व्यवस्था के कार्यान्वयन में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक है। इसलिए, इस प्रकरण में उपयोगकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श को जरूरी नहीं समझा गया।

6. परिणामस्वरुप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित का अनुमोदन करता है :

"बंदर दरमान के भाग III ख के अधीन वर्तमान टिप्पणी (vi) को हटाना और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करना :

लाइसेंस के एक वर्ष से 3रें वर्ष तक	3 वर्षों के इस प्रखंड में 7000 एलडीटी प्रतिवर्ष प्रति भूखंड अथवा तीन वर्षों के इस प्रखंड में 21000 एलडीटी प्रति भूखंड
लाइसेंस के 4थें वर्ष से 6टें वर्ष तक	3 वर्षों के इस प्रखंड में 8000 एलडीटी प्रतिवर्ष प्रति भूखंड अथवा तीन वर्षों के इस प्रखंड में 24000 एलडीटी प्रति भूखंड
लाइसेंस के 7वें वर्ष से 9वें वर्ष तक	3 वर्षों के इस प्रखंड में 10000 एलडीटी प्रतिवर्ष प्रति भूखंड अथवा तीन वर्षों के इस प्रखंड में 30000 एलडीटी
लाइसेंस का 10वां वर्ष	इस वर्ष 10000 एलडींटी प्रति भूखंड

इस गारंटीशुदा स्तर को प्राप्त करने में असफल रहने की स्थिति में, लाइसेंसधारी को वचनबद्ध मालगुजारी में कमी के लिए दसवें वर्ष के अलावा, प्रत्येक प्रखंड वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के भीतर पोत-विखंडन प्रभारों का भुगतान करेगा, दसवें वर्ष में, इसके आरंभ होने के एक माह के भीतर, लाइसेंसधारी, पोत-विखंडन प्रभार अग्रिम रूप से अदा करेगा। भुगतान किए गए अग्रिम का उस वर्ष तोड़े गए एलडीटी और इस वर्ष में, यदि कोई कमी आई हो, जिसे वर्ष के अंत में समायोजित किया जाए, जुर्माने के समक्ष समायोजित किया जाएगा। अनुपालन न करने पर लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2004-असाधारण]